

23

J-14/3361/II/115-

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल, ग्वालियर
कैम्प भोपाल

प्र.क्र..... / 2015

संजीव माहेश्वरी आत्मज श्री प्रफुल्ल माहेश्वरी
आयु वयस्क, निवासी— ई-3/22, अरेरा कालोनी
भोपाल म.प्र.

.....निगरानीकर्ता/आपत्तिकर्ता

विरुद्ध

14 अगस्त २०१५ की तिथि अधिकारी
कार्यालय कमिशनर
भोपाल संभाग, भोपाल

अजय पटेल आत्मज गुलाब दास पटेल
निवासी— ग्राम पंडाडो, तह. बुदनी
जिला सीहोर म.प्र.

.....प्रत्यर्थी

विरुद्ध कार्यालय कमिशनर
भोपाल संभाग, भोपाल


आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू-राजस्व संहिता



निगरानीकर्ता अनुविभागीय अधिकारी बुदनी जिला सीहोर द्वारा राजस्व प्र.क्र. 171/बी-121/14-15 में पारित आदेश दिनांक 03.07.2015 से दुखी एवं असंतुष्ट होकर निम्नलिखित आधारों पर निगरानी प्रस्तुत कर रहा है।

प्रकरण के तथ्य —

1. यह कि प्रत्यर्थी ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन अंतर्गत धारा 30 म.प्र.भू-राजस्व संहिता का प्रस्तुत किया था तथा माननीय न्यायालय से मांग की थी कि तहसीलदार श्री




न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0-3366-3367-3368 / दो / 15

जिला—सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश संजीव / अजय संजीव / अमर सिंह संजीव / सुनीता	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
८/६-१०-२०१५	<p>प्रकरण में आवेदक अभिरुद्रुष्ट श्री आर.पी. सिंह उपस्थित उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया । यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बुद्धनी जिला सीहोर के प्रकरण क्रमांक-171/बी-121/14-15 में पारित आदेश दिनांक 03.07.2015 से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों में वही तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमो में अंकित है, तथा जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गये थे, जिन्हें यहां दुहराया नहीं जा रहा है, किन्तु विचार में लिया जा रहा है । निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं एवं तथ्यों के अनुक्रम में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक-3.7.15 का अवलोकन किया गया । अवलोकन से पाया गया कि अनावेदक द्वारा संहिता की धारा 30 के अंतर्गत एक आवेदन अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर तहसीलदार न्यायालय के प्रकरण को अन्य न्यायालय में अंतरित करने का निवेदन किया गया था, जिसे स्वीकार करते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार बुद्धनी के न्यायालय से प्रकरण उभयपक्ष की सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए निराकरण करने के लिए नायव तहसीलदार शाहगंज के न्यायालय में अंतरित करने के आदेश दिए गये । अनुविभागीय अधिकारी के उक्त अंतरित आदेश से किसी भी पक्षकार के हित वर्तमान में अनुचित रूप से प्रभावित होने की कोई संभावना परिलक्षित नहीं हो रही है, क्योंकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आदेश पारित करने हेतु नायव तहसीलदार को आदेशित किया गया है । उपरोक्त परिस्थितियों में प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है । पक्षकार सूचित हो । प्रकरण दारिकार्ड हो ।</p> <p style="text-align: right;">(A)</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p> <p style="text-align: left;"></p>	1